सर्वोच्च प्राथमिकता/द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

चतुर्थ/पंचम तल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, E-mail Id:fshqup@gmail.com

पत्र संख्याः–एफएस– 1505–2015

दिनांकःजून, 07 2018

सेवा में,

1–समस्त संयुक्त निदेशक,फायर सर्विस,मुख्यालय उ0प्र0।

2–समस्त उपनिदेशक,फायर सर्विस उ0प्र0।

3–समस्त मुख्य/अग्निशमन अधिकारी,उ0प्र0।

कृपया विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनॉक 7–6–2018 को उनके कार्यालय कक्ष में निवेश मित्र पोर्टल के सम्बन्ध में हुई बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि निवेशक द्वारा निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उ0प्र0 फायर सर्विस द्वारा प्रदत्त 3 सेवाओं क्रमशः प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण की सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक सभी अभिलेख फायर सर्विस के वेवपोर्टल www.upfireservice.gov.in पर जाकर अभिलेखों को अपलोड करेगा। अभिलेखों को अपलोड करने के पश्चात् सबमिट करने पर प्रकरण सम्बन्धित जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी को ऑनलाइन प्राप्त हो जायेगा।

उपरोक्त के पश्चात् समस्त मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार कार्य करेगें:–

1–प्रत्येक मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रतिदिन दो बार www.upfireservice gov.in पर लॉग इन करेगें।

2–कोई भी प्रकरण प्राप्त होने पर अभिलेखों को चेक करेगें। यदि अभिलेख अपलोडेड है तो यह भी चेक करलेगें कि अपलोडेड अभिलेख पूर्ण है या नही। यदि पूर्ण है तो उसी समय सम्बन्धित अग्निशमन अधिकारी को अग्रसारित कर देगें।यदि अपूर्ण है तो तीन दिन में उक्त उपलब्ध कराने का निर्देश आनॅलाईन देगें।

यदि निवेदेशक द्वारा डाकूमेन्ट अपलोडेड नही किया गया है तो सम्बन्धित मुख्य अग्निशमन अधिकारी तीन दिन के अन्दर सम्बन्धित निवेशक को अभिलेख उपलब्ध कराने का ईमेल /मेसेज ऑनलाइन प्रेषित कर देगें ।

यदि निवेशक द्वारा तीन दिन के अन्दर वांछित अभिलेख उपलब्ध करा दिया जाता है तो निरीक्षण (अधिकारी अग्निशमन अधिकारी) द्वारा निरीक्षण करने पर किसी भी प्रकार की आपित्त पायी जाती है तो उसके द्वारा केवल एक बार में ही समस्त आपत्तियॉ अंकित करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी । यह प्रकियॉ अग्निशमन अधिकारी को निर्धाारित दिवस के अन्दर ही करना अनिवार्य है ।

अग्निशामन अधिकारी के आख्या प्रााप्त होने पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा या अनाापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी द्वारा आपत्तियों को निराकरण के लिए निवेशक को तत्काल ऑनलाइन सूचित किया जायेगा। निवेशक द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर मुख्य अग्निशामन अधिकारी या अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन अधिकारी को ही उपलब्ध कराया जायेगा एवं सम्बन्धित अनापत्ति निर्गमन अधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेकर प्रकरण का निस्पाादन कर देगा । अर्थात सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन अधिकारी निरीक्षाणकर्ता अधिकारी को वापस प्रेषित नही करेगा।

—2

ज्ञातब्य हो कि अग्निशमन सेवा द्वारा उपलब्ध करायी जा रही तीनों सेवाये उ0प्र0 जनहित गारंटी अधिनियम –2011 के अधीन है ।

अतः निर्धारित अवधि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये अन्यथा के स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूध उ0प्र0 जनहित गारंटी अधिनियम नियमावली अधीन किसी 2001 के दण्डात्मक कार्यवाही के लिए स्वतः ही जिमेदार होगा ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का सतप्रतिशत कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक,(पी0/एफ0)
नि0 पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आई0डी0सी0 अध्यक्ष उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2– अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु उ0प्र0 लखनऊ।
3– विशेष सचिव, मा0 मख्य मंत्री उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4– विशेष सचिव गृह, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

सर्वोच्च प्राथमिकता/द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

चतुर्थ/पंचम तल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, E-mail Id:fshqup@gmail.com

पत्र संख्याः–एफएस– 1505–2015 दिनांकःजून, 2018

परिपत्र

कृपया उ0 प्र0 अग्निशमन सेवा के बेवसाइट www.upfireservice.gov.in पर ऑनलाईन पीडीएफ फार्म में डाकूमेन्ट अपलोड करने का सिस्टम कियाशील कर दिया गया है। अब किसी भी निवेशक को फायर सर्विस के वेवसाइट यू0आई0डी0 प्राप्त करने के बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी के कार्यालय में जाकर अभिलेख जमा करने की आवश्यकता नही है। यू0आई0डी0 जनरेट करते समय जो भी अभिलेख अपलोड करने का उल्लेख होम पेज पर है, को पी0डी0एफ0 फार्म में एक ही बार में ऑनलाईन अवलोड किया जा सकेगा।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है निवेशक द्वारा किसी भी तरह की सहायता या जानकारी प्राप्त करने पर उपरोक्त पत्र से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाय।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक,(पी0/एफ0)
नि0 पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।